न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 115/23(वाद)

GCMS No. : 2023/349

अनवान

1. श्री दूल्हासिंह पिता चतरसिंह राजपूत निवासी शोभजी का खेडा तहसील मावली।

.....वादी

बनाम्

1. श्री परथा पिता लाला डांगी निवासी सालेराकलां तहसील मावली।
2. श्री जीवा पिता लाला डांगी निवासी सालेराकलां तहसील मावली।
3. श्री वरदा पिता लाला डांगी निवासी सालेराकलां तहसील मावली।
4. श्री घासीराम पिता लाला डांगी निवासी सालेराकलां तहसील मावली।
5. श्रीमती दल्लूबाई पत्नी रूपा डांगी निवासी सालेराकलां तहसील मावली।
6. मांगीबाई पुत्री लाला डांगी निवासी सालेराकलां तहसील मावली।
7. भंवरीबाई पुत्री रूपा डांगी निवासी सालेराकलां तहसील मावली।
8. श्री भगवानसिंह पिता गुलाबसिंह राजपूत निवासी सालेराकलां तहसील मावली।
9. श्री विक्रमसिंह पिता भगवानसिंह राजपूत निवासी सालेराकलां तहसील मावली।
10. श्री शम्भुसिंह पिता किशनसिंह राजपूत निवासी सालेराकलां तहसील मावली।
11. श्री शिवसिंह पिता किशनसिंह राजपूत निवासी सालेराकलां तहसील मावली।
12. श्री रूपसिंह पिता पर्वतसिंह राजपूत निवासी सालेराकलां तहसील मावली।
13. ग्राम पंचायत सालेराकलां जरिये सरपंच सालेराकलां तहसील मावली।
14. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सालेराकलां तहसील मावली।
15. तहसीलदार मावली तहसील मावली।
16. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर उदयपुर।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री जसवन्त राय चौहान, अधिवक्ता वादी।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 291–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक :05.03.2026

1. वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 291–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सालेराकलां तहसील मावली में आराजी संख्या 1263, 1272, 1384 किस्म रास्ता, बिलानाम गैर काबिल काश्त राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। मौके पर भी रास्ता मौजूद है। इसी तरह आराजी संख्या 1923/1272 भी किस्म रास्ता दर्ज है, परन्तु इसके खातेदार के रूप में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:58:28 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 1 से लगाय 7 तक खाते में दर्ज है परन्तु मौके पर उक्त सम्पूर्ण आराजी आम रास्ते के रूप में काम आ रही है। इस आराजी के उत्तर तरफ आराजी संख्या 1272 किस्म रास्ता तथा दक्षिण तरफ आराजी संख्या 1384 किस्म रास्ता दर्ज हैं। उक्त तीनों आराजीयात एक दूसरे से जुडी हुई हैं। आराजी संख्या 1272 के उत्तर तरफ इसी रास्ते का भाग आराजी संख्या 1263 आम रास्ते के रूप में दर्ज होकर रास्ते के रूप में काम आ रही हैं। उक्त आराजीयात 1384 के दक्षिण तरफ आराजी संख्या 1390 किस्म नाला तथा उसके बाद आराजी संख्या 1412 किस्म चारागाह व आराजी संख्या 1413 किस्म चारागाह राजस्व रेकार्ड में दर्ज है तथा मवेशी के चरायी के काम आती हैं। पूर्व पैमाईश जो मेवाड गर्वमेन्ट के दौरान जो आज से करीब 80 वर्ष पूर्व हुई थी, की आराजी संख्या 871 क्षेत्रफल 2 बीघा 4 बिस्वा किस्म रास्ता दर्ज थी। जो कि वर्तमान पैमाईश जो करीब 53–54 वर्ष पूर्व हुई थी का नया नम्बर आराजी संख्या 1384 क्षेत्रफल 15 बिस्वा एवं आराजी संख्या 1272 क्षेत्रफल 19 बिस्वा, से राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुई परन्तु इस नये नम्बर का क्षेत्रफल जो कि करीब 37 बिस्वा होना चाहिए था, वह मात्र 34 बिस्वा ही अंकित किया गया शेष करीब 3 बिस्वा जमीन जो उक्त दोनों आराजीयात के करीब थी वह सेटलमेन्ट विभाग द्वारा सहवन से नई आराजी संख्या 1923/1272 में सम्मिलित कर ली गयी जबकि आराजी संख्या 1923/1272 का पुराना आराजीयात 872 था जिसका क्षेत्रफल 7 बिस्वा मात्र था जिसके नये नम्बर का क्षेत्रफल 6 बिस्वा करीब ही होना चाहिए था। शेष जो क्षेत्रफल इसमें सम्मिलित हुआ वह वास्तव में 1272 आराजीयात का है जो कि आराजी संख्या 1269 से सटा हुआ हैं।

2. यह कि नया आराजी संख्या 1923/1272 किस्म रास्ता दर्ज है परन्तु सहवन से यह रास्ता भी प्रतिवादी संख्या 1 से लगाकर 7 के खाते में रेकार्ड में दर्ज हो जाने से उक्त प्रतिवादीगण आये दिन रास्ते में व्यवधान पैदा करते है। इसलिए जरिये इन्द्राज दुरूस्ती उक्त आराजी संख्या 1923/1272 का लगभग 3 बिस्वा भाग जो कि आराजी संख्या 1269 से लगा हुआ है को या तो आराजी संख्या 1272 का हिस्सा घोषित किया जाना चाहिए अथवा उक्त नये नम्बर घोषित करते हुए किस्म रास्ता दर्ज करते हुए उक्त हिस्से से प्रतिवादी संख्या 1 से 7 तक के नाम हटाया जाने का आदेश जारी किया जाना आवश्यक हैं। आराजी संख्या 1263, 1272 के पूर्व की तरफ प्रतिवादी संख्या 8 से 12 काबिज है जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Purohit
Date: 2026.04.16 15:58:28 IST
Reason: SelfAttested

कि उक्त आम रास्ते की जमीन को अपने हिस्से में मिलाना चाहते है और इसके लिए उन्होने अपनी जमीन व उक्त आम रास्ते वाले आराजीयात के बीच स्थित थुअर की बाड को हटा लिया है एवं आये दिन झगडा फसाद कर उक्त आम रास्ते पर वादी एवं अन्य आमजन को तथा पशुओं को आने–जाने में बाधा उत्पन्न करते है जिससे वादी व अन्य लोगों को परेशानी होती हैं। प्रतिवादी संख्या 1 से 12 तक न सिर्फ उक्त आम रास्ते की जमीन पर कब्जा कर अपने हिस्से में मिलाना चाहते है बल्कि आराजी संख्या 1412, 1413 पर भी जबरन कब्जा करना चाहते हैं।

3. यह कि वादी को अपनी पैतृक आराजीयात 1264, 1265, 1266, 1267, 1269, 1270 एवं 1271 पर एक तिहाई हिस्सा पर काबिज है। शेष पर भी वादी के परिवारजन काबिज है तथा उक्त सभी आराजीयात पर आने जाने का एकमात्र रास्ता आराजी संख्या 1263, 1272, 1923/1272, 1384 से ही हैं। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता प्रवेश का नहीं हैं। आराजी संख्या 1271 पर आम रास्ता 1270 से लगा हुआ वादी ने मवेशियों को पानी पिलाने के लिए प्याऊ बना रखा है जिसमें पानी पीने के लिए दिनभर में सैकडों मवेशी कई बार पानी पीने के लिए आते है जिन्हे उक्त प्रतिवादीगण 1 से 12 तक पानी पीने नहीं आने देते है तथा जानवरों के साथ मारपीट करते है। आराजी संख्या 1412, 1413 व इसके साथ लगी अन्य और आराजीयात चारागाह भूमि हैं। जिन पर भी उक्त सभी प्रतिवादीगण मवेशी को नहीं चरने देते है तथा कब्जा करने पर आमादा है जिन्हे रोका जाना भी आवश्यक हैं। प्रतिवादी संख्या 13 व 14 का यह भी दायित्व है कि चारागाह की भूमि जो ऊपर आराजीयात के रूप में वर्णित की गयी है, को मवेशियों को चरने के लिए सदैव खुली रखे तथा उस पर उक्त प्रतिवादीगण 1 से 12 अथवा अन्य किसी द्वारा कोई दखल अथवा कब्जा करने का प्रयास किया जाता है तो उसे तुरन्त कार्यवाही करते हुए मवेशियों को चरने की समुचित व्यवस्था करें। इसी तरह वादी द्वारा पशुओं के लिए जो प्याऊ बना रखी है, पशुओं को पानी पीने के लिए आने के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था करें। प्रतिवादी संख्या 14 तहसीलदार मावली जो भूमिधारक है का भी यह दायित्व है कि उक्त आम रास्ते की भूमि पर प्रतिवादीगण 1 से 12 अथवा अन्य को किसी तरह का दखल करते है तो उसे रोकने की पर्याप्त एवं स्थाई व्यवस्था करें। प्रतिवादी संख्या 15 का यह भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Rupadia
Date: 2026.04.16 15:58:28 IST
Reason: SelfAttested

दायित्व है कि आराजी संख्या 1923/1272 में जो गलती से प्रतिवादी संख्या 1 से 7 तक का नाम दर्ज है उन्हे रेकार्ड से हटाकर उक्त रास्ते को आम रास्ते के रूप में बिलानाम भूमि के रूप में दर्ज किया जावें। प्रतिवादी संख्या 16 का यह दायित्व है कि वह अपने अधीनस्थ समस्त राजस्व कर्मचारी एवं प्रतिवादी संख्या 13 से 15 को नियन्त्रित करते हुए उक्त तमाम आम रास्ते की आराजीयात एवं चारागाह भूमि पर उक्त प्रतिवादीगण 1 से 12 तक द्वारा जो आये दिन अतिक्रमण करने का प्रयास व झगडा फसदा करते है उन्हे रोका जावे तथा उन्हे अपनी अपनी सीमा पर ही बाड बन्दी करते हुए आम रास्ते व चारागाह भूमि को खुली रखने की पर्याप्त एवं प्रभावी व्यवस्था करें।

4. यह कि वादी का यह प्रथम दृष्टया मामला हैं। वादी को अपनी उक्त जमीन पर आने जाने व उपयोग उपभोग करने हल, ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने एवं मजदूरों को अपने खेत पर लाने का अधिकार है, जिसे प्रतिवादीगण व्यक्तिगत एवं संयुक्त रूप से परेशान कर रहे है, जिन्हे स्थाई निषेधाज्ञा से रोके जाने का आदेश प्राप्त करने का अधिकारी है। इसी तरह आराजी संख्या 1923/1272 किस्म रास्ता से प्रतिवादी संख्या 1 से 7 तक एवं अन्य मृतक व्यक्तियों के नाम राजस्व रेकार्ड से हटाये जाने का आदेश प्राप्त करने का अधिकारी हैं। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 तक को इसलिए पक्षकार समाहित किया गया है कि आराजी संख्या 1923/1272 किस्म रास्ता से उनका नाम हटाया जाकर बिलानाम दर्ज कराना हैं। प्रतिवादी संख्या 1 से 12 तक को पक्षकार इसलिए बनाया गया है कि वे उक्त रास्ते की तमाम आराजीयात व चारागाह भूमि पर आये दिन कब्जा करते रहते है और लडाई झगडा करते हैं। वादी को अपनी भूमि पर आने जाने में परेशानी पैदा करते है। प्रतिवादी संख्या 13, 14 को इसलिए पक्षकार बनाया गया है कि वे उक्त तमाम आम रास्ते की आराजीयात व चारागाह भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 से 12 तक को अतिक्रमण नहीं करने देवे व अन्य व्यवधान को भी रोके परन्तु वे ऐसा नहीं कर उन्हे अतिक्रमण के लिए प्रोत्साहित कर रहे है एवं अपना दायित्व नहीं निभाकर आम रास्ते को दुरूस्त व अच्छी हालत में भी नहीं रख रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 15 उक्त सभी आराजीयात जो कि आम रास्ता एवं चारागाह भूमि का भूमिधारक है एवं उसका दायित्व है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 12 द्वारा उक्त समस्त आराजीयात पर अतिक्रमण अथवा व्यवधान को रोके परन्तु वे ऐसा नहीं कर रहे है। इसलिए उसे आवश्यक पक्षकार बनाया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Purbiadiz
Date: 2026.04.16 15:58:28 IST
Reason: SelfAttested

गया हैं। प्रतिवादी संख्या 16 का यह दायित्व है कि आम रास्ता व चारागाह भूमि पर किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह का व्यवधान उक्त समस्त आराजीयात पर नहीं करें उसके लिए अपने अधीनस्थ सम्बन्धित कर्मचारियों एवं संस्थाओं द्वारा रोकने की पर्याप्त व्यवस्था करें परन्तु वह बावजूद बार–बार शिकायतों के व्यवस्था एवं कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। इसलिए उसे पक्षकार बनाया हैं। प्रतिवादी संख्या 13 से 15 भी उक्त प्रतिवादी संख्या 16 के अधीन हैं।

5. यह कि वाद कारण तब पैदा हुआ जबकि जून 2021 में प्रतिवादी संख्या 1 से 12 तक ने उक्त आम रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण करने का प्रयास किया व तत्पश्चात् तारीख 05.09.2021 को पैदा हुआ जब प्रतिवादी संख्या 1 से 12 तक ने वादी को उक्त आम रास्ते की आराजीयात एवं चारागाह भूमि पर आने जाने से रोका व झगडा फसाद करने लग गये, तत्पश्चात् वादी द्वारा अन्य प्रतिवादीगण 13 से 16 से भी निवेदन किया, परन्तु उन्होने कोई कार्यवाही नहीं की। इस प्रकार वाद अन्दर अवधि में पेश हैं।

6. अन्त में निवेदन किया कि वादी का वाद स्वीकार फरमा कर निम्न आशय की डिक्री पृथक–पृथक एवं संयुक्त रूप से प्रदान की जावें कि आराजी संख्या 1923/1272 में से पश्चिम तरफ का भाग जो कि आराजी संख्या 1269 से सटा हुआ है, 3 बिस्वा भूमि आम रास्ते बिलानाम के रूप में अलग से दर्ज करते हुए उसमें से प्रतिवादी संख्या 1 से 7 तक के नाम रिकार्ड से हटा दिया जावें। प्रतिवादी संख्या 1 से 12 तक आम रास्ते की भूमि आराजी संख्या 1263, 1272, 1923/1272 एवं 1384 से वादी एवं अन्य आमजन को आने जाने से नहीं रोके तथा उक्त सभी आराजीयात पर वे किसी तरह का कब्जा नहीं करें। इसी तरह आराजी नम्बर 1412 व 1413 किस्म चारागाह भूमि पर भी वादी को एवं अन्य आमजन को आने जाने से नहीं रोके तथा उक्त समस्त आराजीयात पर मवेशियों को आने जाने व चरने से भी उक्त प्रतिवादीगण नहीं रोकें। प्रतिवादी संख्या 13 से 16 को भी इस आशय से पाबंद किया जावे कि वे उक्त आराजी संख्या 1263, 1272, 1923/1272 एवं 1384 को रास्ते के रूप में समुचित रूप से रखरखाव करें तथा उक्त रास्ते पर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 12 तक को अतिक्रमण अथवा अन्य किसी तरह का व्यवधान करने से रोके। इसी तरह आराजी संख्या 1412 व 1413 पर भी प्रतिवादी संख्या 1 से 12 तक का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Pumadia
Date: 2026.04.16 15:58:28 IST
Reason: SelfAttested

अतिक्रमण के प्रयासों को रोका जावे व जमीन मवेशियों के चरने के लिए पूर्णरूप से खुली रखी जावें।

7. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1से 12 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। प्रतिवादी संख्या 13 से 16 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से जवाब पेश नही करना चाहा। राजपैरोकार तहसीलदार मावली से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार मावली द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया की ग्राम सालेराकला के खसरा नम्बर 1263 रकबा 0.2023 किस्म रास्ता, आराजी नम्बर 1272 रकबा 0.1538 हैक्टेयर किस्म रास्ता, आराजी नम्बर 1384 रकबा 0.1214 हैक्टेयर किस्म रास्ता होकर बिलानाम खाते में दर्ज रिकॉर्ड है। खसरा नम्बर 1923/1272 रकबा 0.0728 हैक्टेयर किस्म रास्ता होकर खसरा नम्बर 444 पर दर्ज रिकॉर्ड होकर खातेदार घासीराम पुत्र लाला 1/12 डांगी वगैरह के नाम दर्ज है। ग्राम सालेराकलां के खसरा नम्बर 1390 रकबा 1.4731 हैक्टेयर किस्म नाला, खसरा संख्या 1 बिलानाम सरकार व खसरा नम्बर 1412 रकबा 1.8378 किस्म चारागाह, आराजी नम्बर 1473 रकबा 0.9308 हैक्टेयर किस्म चारागाह, खसरा नम्बर 538 चारागाह के खाते में दर्ज रिकॉर्ड है। आराजी नम्बर 1272 व 1268 के पूर्व दिशा की तरफ खसरा नम्बर 1262, 1936/1274, 1935/1273 स्थित है तथा खसरा नम्बर 1935/1273, 1936/1274, खसरा संख्या 406 पर खातेदार भगवान सिंह पुत्र गुलाबसिंह 1/3 राजपुत वगैरह के नाम व खसरा नम्बर 1262 रकबा 1.6754 हैक्टेयर खातेदार नाना पुत्र खेमा 1/6 डांगी के नाम दर्ज है। मिलान पत्रक अनुसार गत भू–माप के खसरा नम्बर 871 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा नवीन आराजी नम्बर 1272 रकबा 19 बिस्वा, 1384 रकबा 15 बिस्वा बना है। गत भू–माप की जरीब 152.5 फीट थी तथा वर्तमान भू–माप की जरीब 132 फीट होने से रकबे में 1.30 गुना बढोतरी होनी चाहिए। गत भू–माप के नम्बर 872 रकबा 7 बिस्वा से नवीन नम्बर 1923/1272 रकबा 9 बिस्वा बने जो कि सही है व मिलान होता है। आराजी नम्बर 1923/1272 रकबा 0.0728 हैक्टेयर किस्म रास्ता, खसरा नम्बर 444 पर दर्ज होकर खातेदार घासीराम पुत्र लाला डांगी वगैरह के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। खसरा नम्बर 1263, 1272 के पूर्व दिशा में आराजी नम्बर 1262, 1936/1274, 1935/1273 स्थित है जो कि खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Pumadia
Date: 2026.04.16 15:58:28 IST
Reason: SelfAttested

दर्ज रिकॉर्ड है। मौके पर आराजी नम्बर 1263 व 1272 किस्म रास्ता पर कंटिली झाड़िया उगी हुई है। उक्त रास्ते के आराजी नम्बर 1263 के उत्तर की तरफ खसरा नम्बर 1258 खातेदारी भूमि व पश्चिम की तरफ वादी की खसरा नम्बर 1264 के उत्तर स्थित है, जिससे रास्ता मौके पर उत्तर की तरफ खातेदारी भूमि होने से बन्द है। राजस्व रिकॉर्ड व राजस्व नक्शा अनुसार आराजी नम्बर 1272 व 1263 के चारों तरफ खातेदारी कृषि भूमि स्थित होकर यह रास्ता किसी भी मुख्य रास्ता से लगता हुआ नहीं है। खसरा नम्बर 1412 रकबा 1.8373, 1413 रकबा 0.9308 किस्म बंजड़ चारागाह दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजीयात की अतिक्रमण रिपोर्ट पी–14 की गई जो न्यायालय में विचाराधीन है। आराजी नम्बर 1264, 1271, 652, 405 वगैरह खातेदार दुल्हासिंह पुत्र चतरसिंह वगैरह के नाम दर्ज है। प्रकरण में साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पत्र गवाह पीडब्ल्यू 1 वादी स्वयं दुल्हासिंह पिता स्व. चतरसिंह राजपूत का प्रस्तुत कर दस्तावेज जमाबन्दी नकल प्रदर्श 1 से 3. नक्शा हाल पैमाईश प्रदर्श 4, खाता नकल प्रदर्श 5 से 7, नक्शा साबिक पैमाईश प्रदर्श 8, जमाबन्दी नकल प्रदर्श 9, आदेश उपखण्ड अधिकारी मावली के क्रमांक 493 दिनांक 23.06.2020 प्रदर्श 10. तहसीलदार मावली के पत्र क्रमांक 559 दिनांक 28.05.2020, पटवारी का प्रार्थना पत्र मय मौका पर्चा प्रदर्श 12. फर्द अहकाम तहसीलदार मावली पत्रावली सं. 421/21 प्रदर्श 13. रिपोर्ट पटवारी सालेराकलां दिनांक 02.02.2022 प्रदर्श 14, आदेश तहसीलदार मावली क्रमांक 421/21 दिनांक 04.02.2022 प्रदर्श 15. कार्यपालक मजिस्ट्रेट तहसीलदार मावली के प्रकरण सं. 313/20 की आदेशिका दिनांक 05.09.2020 प्रदर्श 16, इस्तगासा क्रमांक 4618 दिनांक 05.09. 2020 पुलिस थाना डबोक प्रदर्श 17 करवाए गए।

8. हमने अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस पर मनन किया। दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। वादी आराजी नम्बर 1923/1272 में से 3 बिस्वा भूमि पश्चिम की तरफ से बिलानाम के रूप में अलग से दर्ज करवाना चाहता है। इस संबंध में वादी का कथन है कि मेवाड गवर्नमेन्ट के दौरान जो आज से करीब 80 वर्ष पूर्व आराजी संख्या 871 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा किस्म रास्ता दर्ज थी, जो वर्तमान पैमाईश में आराजी संख्या 1384 रकबा 15 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 1272 रकबा 18 बिस्वा राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई, परन्तु हाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Puradia
Date: 2026.04.16 15:58:28 IST
Reason: SelfAttested

आराजी नम्बर का रकबा 37 बिस्वा होना चाहिए था, वह मात्र 34 बिस्वा ही अंकित किया गया। शेष 3 बिस्वा भूमि सेटलमेन्ट विभाग द्वारा सहवन से नई आराजी नम्बर 1923/1272 में सम्मिलित कर ली गई। जबकि आराजी संख्या 1923/1272 का पुराना आराजीयात 872 जिसका रकबा 7 बिस्वा मात्र था। जिसके हाल आराजीयात का रकबा 6 बिस्वा होना चाहिए था। इसमें शामिल कर दिया गया। इस संबंध में न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादी स्वयं द्वारा प्रस्तुत भू–प्रबंध विभाग का मिलान पत्रक प्रदर्श 5 से 7 का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने से स्पष्ट है कि साबिक आराजी नम्बर 872 रकबा 7 बिस्वा किस्म र. क. अंकित थी। जिसके हाल आराजी नम्बर 1923/1272 रकबा 9 बिस्वा कायम किया। चूंकि सेटलमेंट से पूर्व जरीब 152.5 फीट की थी, परन्तु दौराने सेटलमेंट 132 फीट की जरीब से रिकॉर्ड तैयार किया गया। जिसके कारण हाल रिकॉर्ड में समस्त आराजीयात के रकबे में 1.30 गुणा की बढोतरी हुई। इसी प्रकार आराजी नम्बर 872 से बने हाल आराजीयात 1923/1272 में भी रकबा 7 बिस्वा से 9 बिस्वा सही दर्ज हुआ है। बल्कि भू–प्रबंध विभाग द्वारा उक्त आराजीयात की किस्म का परिवर्तन कर रास्ता दर्ज कर दी गई। ऐसे में न्यायालय वादी के इस कथन से संतुष्ट नही है कि साबिक आराजी नम्बर 871 की भूमि हाल आराजी नम्बर 1923/1272 में दर्ज हो गयी हो। साबिक आराजी नम्बर 871 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि किस्म रास्ता के हाल आराजी नम्बर 1384 रकबा 15 बिस्वा किस्म रास्ता, आराजी नम्बर 872 रकबा 19 बिस्वा किस्म रास्ता बनना वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से प्रतीत होता है। साबिक आराजी नम्बर 871 का रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा 152.5 फीट की जरीब से होने से हाल आराजीयात का रकबा 132 फीट की जरीब से 2 बीघा 17 बिस्वा दर्ज होना चाहिए। परन्तु वादी द्वारा प्रस्तुत मिलान पत्रक अनुसार 1 बीघा 14 बिस्वा ही बनता है। न्यायालय द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत नक्शे का अवलोकन करने से जाहीर आया की हाल आराजी नम्बर 1384, 872 के आगे एक अन्य आराजी नम्बर 1263 जिसका रकबा लगभग 1 बीघा 5 बिस्वा किस्म रास्ता है। इस प्रकार हाल आराजी नम्बर 1384, 872, 1263 का कुल रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा बनता है। जो किस्म रास्ता है। परन्तु वादी द्वारा आराजी नम्बर 1263 का मिलान पत्रक प्रस्तुत नही किया गया ... स्पष्ट नही है कि आराजी नम्बर 1263 का साबिक आराजी नम्बर क्या है। ... अनुसार उक्त आराजी साबिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Date: 2026.04.16 16:58:28 IST
Reason: SelfAttested

आराजी नम्बर 871 से ही बनना प्रतीत होता है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय वादी के इस कथन से संतुष्ट नही है कि साबिक आराजी नम्बर 871 का रकबा हाल आराजी नम्बर 1923/1272 में शामिल कर दिया गया हो। चूंकि विपक्षी संख्या 1 से 7 की खातेदारी की आराजी नम्बर 1923/1272 का रकबा साबिक रकबे अनुसार मिलान हो रहा है।

वादी का यह भी कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 12 तक आम रास्ते की भूमि आराजी संख्या 1263, 1272, 1923/1272 एवं 1384 से वादी एवं अन्य आमजन को आने जाने से नही रोके तथा उक्त सभी आराजीयात पर वे किसी तरह का कब्जा नही करें। इसी तरह आराजी नम्बर 1412 व 1413 किस्म चारागाह भूमि पर भी वादी को एवं अन्य आमजन को आने जाने से नहीं रोकें तथा उक्त समस्त आराजीयात पर मवेशियों को आने जाने व चरने से भी उक्त प्रतिवादीगण नही रोकें। इस संबंध में न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि बिलानाम आराजी नम्बर 1263, 1272, 1384 किस्म रास्ता पर प्रतिवादी संख्या 1 से 12 को कब्जा कर रास्ते को बाधित करने का कोई अधिकार नही है। परन्तु वादी के कथनानुसार प्रतिवादी रास्ते की भूमि पर कब्जा कर रास्ते को बाधित करना चाहते है। इसलिए आराजी नम्बर 1263, 1272, 1384 पर प्रतिवादी कब्जा कर रास्ते को बाधित नही करे इस हेतु पाबंद किया जाना न्यायोचित है। परन्तु आराजी नम्बर 1923/1272 विपक्षी संख्या 1 से 7 की खातेदारी की भूमि है जिसकी किस्म परिवर्तन सेटलमेंट के दौरान भू–प्रबंध विभाग द्वारा की गई है। ऐसे में विपक्षी संख्या 1 से 7 को आराजी नम्बर 1923/1272 के संबंध में सम्पूर्ण भूमि के संबंध में खेती काश्त से नही रोका जा सकता। परन्तु न्यायालय का यह भी मानना है कि आराजी नम्बर 1384 किस्म रास्ता एवं आराजी नम्बर 1272 किस्म रास्ता के मध्य विपक्षी संख्या 1 से 7 की उक्त आराजी स्थिति है। ऐसे में विपक्षी संख्या 1 से 7 की आराजी नम्बर 1923/1272 की किस्म रास्ता आवगमन में रोकते है तो रास्ते का बिलानाम रास्ते का उपयोग नही हो सकेगा। इसलिए विपक्षी संख्या 1 से 7 को भी आराजी नम्बर 1923/1272 की किस्म रास्ता होने से आवागमन में बाधा नही हो इस हेतु किसी को आवागमन से रोके नही इस हेतु पाबंद किया जाना उचित है। चारागाह आराजी नम्बर 1412, 1413 पर कब्जा करने का [illegible]ख्या 1 से 12 को कोई अधिकार नही है। ऐसे में विपक्षी संख्या 1 से [illegible] को पाबंद किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Purohit
Date: 2026.04.16 15:58:28 IST
Reason: SelfAttested

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा विपक्षी संख्या 1 से 12 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि ग्राम सालेराकला पटवार हल्का सालेराकला तहसील मावली कि बिलानाम आराजी नम्बर 1263 रकबा 0.2023 किस्म रास्ता, आराजी नम्बर 1272 रकबा 0.1538 किस्म रास्ता, आराजी नम्बर 1384 रकबा 0.1214 किस्म रास्ता पर अतिक्रमण कर रास्ते को बंद करने का प्रयास नही करें। साथ ही तहसीलदार मावली को निर्देशित किया जाता है कि उक्त रास्ते की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 से 12 द्वारा अतिक्रमण किया जाता है तो उसे नियमानुसार हटाने की कार्यवाही करें।

इसी प्रकार विपक्षी संख्या 1 से 12 को पाबंद किया जाता है कि ग्राम सालेराकला पटवार हल्का सालेराकला तहसील मावली के चारागाह आराजी नम्बर 1412, 1413 पर कब्जा करने का प्रयास नही करें।

विपक्षी संख्या 1 से 7 को पाबंद किया जाता है कि ग्राम सालेराकला पटवार हल्का सालेराकला तहसील मावली की आराजी नम्बर 1923/1272 रकबा 0.0728 में आने जाने से नही रोके।

डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 05.03.2026 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:58:28 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO)मावली

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री दूल्हासिंह पिता चतरसिंह राजपूत निवासी शोभजी का खेडा तहसील मावली।

.....वादी

बनाम्

1. श्री परथा पिता लाला डांगी निवासी सालेराकलां तहसील मावली।
2. श्री जीवा पिता लाला डांगी निवासी सालेराकलां तहसील मावली।
3. श्री वरदा पिता लाला डांगी निवासी सालेराकलां तहसील मावली।
4. श्री घासीराम पिता लाला डांगी निवासी सालेराकलां तहसील मावली।
5. श्रीमती दल्लूबाई पत्नी रूपा डांगी निवासी सालेराकलां तहसील मावली।
6. मांगीबाई पुत्री लाला डांगी निवासी सालेराकलां तहसील मावली।
7. भंवरीबाई पुत्री रूपा डांगी निवासी सालेराकलां तहसील मावली।
8. श्री भगवानसिंह पिता गुलाबसिंह राजपूत निवासी सालेराकलां तहसील मावली।
9. श्री विक्रमसिंह पिता भगवानसिंह राजपूत निवासी सालेराकलां तहसील मावली।
10. श्री शम्भुसिंह पिता किशनसिंह राजपूत निवासी सालेराकलां तहसील मावली।
11. श्री शिवसिंह पिता किशनसिंह राजपूत निवासी सालेराकलां तहसील मावली।
12. श्री रूपसिंह पिता पर्वतसिंह राजपूत निवासी सालेराकलां तहसील मावली।
13. ग्राम पंचायत सालेराकलां जरिये सरपंच सालेराकलां तहसील मावली।
14. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सालेराकलां तहसील मावली।
15. तहसीलदार मावली तहसील मावली।
16. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर उदयपुर।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 291ए राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 115/23 (वाद)

GCMS No.: 2023/349

यह वाद आज वास्ते अंतिम निर्णय हेतु पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. के समक्ष प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है किः–

वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा विपक्षी संख्या 1 से 12 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि ग्राम सालेराकला पटवार हल्का सालेराकला तहसील मावली कि बिलानाम आराजी नम्बर 1263 रकबा 0.2023 किस्म रास्ता, आराजी नम्बर 1272 रकबा 0.1538 किस्म रास्ता, आराजी नम्बर 1384 रकबा 0.1214 किस्म रास्ता पर अतिक्रमण कर रास्ते

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:58:28 IST
Reason: SelfAttested

को बंद करने का प्रयास नही करें। साथ ही तहसीलदार मावली को निर्देशित किया जाता है कि उक्त रास्ते की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 से 12 द्वारा अतिक्रमण किया जाता है तो उसे नियमानुसार हटाने की कार्यवाही करें।

इसी प्रकार विपक्षी संख्या 1 से 12 को पाबंद किया जाता है कि ग्राम सालेराकला पटवार हल्का सालेराकला तहसील मावली के चारागाह आराजी नम्बर 1412, 1413 पर कब्जा करने का प्रयास नही करें।

विपक्षी संख्या 1 से 7 को पाबंद किया जाता है कि ग्राम सालेराकला पटवार हल्का सालेराकला तहसील मावली की आराजी नम्बर 1923/1272 रकबा 0.0728 में आने जाने से नही रोके।

यह आज तारीख 05.03.2026 को न्यायालय से मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:58:28 IST
Reason: SelfAttested